न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : असलम मेहर आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 250/2018

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
सुगरी बानो पुत्री मोलाबक्स पत्नी जंवरू खां जाति लोहार मुसलमान निवासी निम्बोल तहसील जैतारण जिला पाली		1– तहसीलदार जैतारण 2– सरपंच ग्राम पंचायत राबडियावास, तहसील जैतारण जिला पाली 3– फुली बेवा भीखा खां जाति लोहार–मुसलमान निवासी राबडियावास, तहसील जैतारण, जिला पाली

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 18–5–2017 जो तहसीलदार भू.अ. जैतारण द्वारा प्रकरण संख्या 03/2017 अनवान श्रीमती सुगरी बानो बनाम सरपंच ग्राम पंचायत राबडियावास मे पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री बुद्धाराम चौधरी अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से ।
2– राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से ।
3– श्री जगदीश विश्नोई अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 3 की ओर से ।
4– रेस्पो0 संख्या 2 बावजुद तामिल के अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक 30–8–2019

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा राबडियावास तहसील जैतारण के खसरा नंबर 561 रकबा 30 बीघा तथा खसरा नंबर 584 रकबा 24.15 बीघा भूमि के सह खातेदार मोलाबक्श के हिस्से की भूमि नामांतरकरण संख्या 200 के जरिये उसके पुत्र इमाम खां पुत्र मोलाबक्श के नाम दर्ज हुई तथा इमाम खां के फोत होने पर उसके पुत्र भीखा खां वल्द इमाम खां के नाम म्युटेशन संख्या 323 दिनांक 20–7–80 स्वीकृत हुआ । अपीलार्थियां जो कि स्व0 खातेदार मोलाबक्श की पुत्री है, ने उपखण्ड अधिकारी जैतारण के समक्ष उक्त म्युटेशन संख्या 323 के विरूद्ध प्रथम अपील पेश की, जो अपील स्वीकार की जाकर उक्त नामांतरकरण संख्या 323 पर पारित आदेश दिनांक 20–7–80 को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार जैतारण को नियमानुसार वारिसानो की जांच कर नियमो के परिपेक्ष्य मे अग्रिम कार्यवाही करने हेतु रिमाण्ड किया । जिस पर तहसीलदार जैतारण ने प्रकरण दर्ज कर बाद जांच एवं सुनवाई के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18–5–2017 के द्वारा ग्राम राबडियावास के खसरा नंबर 582 रकबा 12.05 बीघा भूमि मे फूली बानो पत्नी भीकाखां 1/4, सुगरी बानो पुत्री मोलाबक्श 1/4, निवाजो बानो पुत्री मोलाबक्श 1/4 एवं भंवरी बानो के का0मुकाम के नाम 1/4 हिस्से मे नाम राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज किये जाने के आदेश पारित किये गये तथा विकित भूमि के संबंध मे पक्षकार अपने हक अधिकारो के लिए सक्षम न्यायालय मे वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त कर सकते है, बाबत निर्णय पारित किया । तहसीलदार जैतारण द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांक 18–5–2017 के विरूद्ध वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

अति० सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित । वकील पक्षकारान को बहस सुनी गई । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी जैतारण ने अपने रिमाण्ड आदेश मे तहसीलदार जैतारण को वारिसानो की जांच कर नियमो के परिपेक्ष्य मे अग्रिम कार्यवाही करने का आदेश पारित किया था परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र खसरा नंबर 582 की 12.05 बीघा भूमि मे ही मृतक खातेदार मोलाबक्श के वारिसो का 1/4– 1/4 हिस्सा तय कर दिया, जो विधिविरूद्ध एवं प्राकृतिक न्यायिक सिद्धान्तो के विपरीत होने से निरस्त करने का निवेदन किया ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अपीलांट ने अपने हिस्से की भूमि का कभी बेचान नही किया था तथा अपीलांट के पक्ष मे फोतेदगी का नामांतरकरण उक्त दोनो खसरा नंबरान 561 व 582 की कुल 54.15 बीघा भूमि का भरा जाना चाहिये था जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने केवल खसरा नंबर 582 की 12.05 बीघा भूमि के संबंध मे ही नामांतरकरण भरे जाने का आदेश पारित किया है जो विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट का 1/4 हिस्सा भी विधिविरूद्ध तरीके से तय किया है जबकि मुस्लिम कानून मे लडकियों का सम्पूर्ण पुश्तैनी सम्पति मे 1/3 हिस्सा ही तय किया गया है इसलिए अपीलाधीन आलौच्य आदेश विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य है । वकील अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की जानकारी अपीलांट के अधिवक्ता ने समय पर नही दी जाने से अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलंब को क्षमा करने हेतु अलग से धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील को अंदर मयाद सुमार कर अपीलांट की उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18–5–2017 को अपास्त कर खसरा नंबर 561 एवं 582 कुल रकबा 54.15 बीघा भूमि मे अपीलांट का नाम दर्ज करने के आदेश पारित करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 संख्या 3 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने कथन किया कि मै मृतक खातेदार मोलाबक्श की विधिक वारिस होने से अपीलाधीन निर्णय मे खसरा नंबर 582 की भूमि मे मेरा 1/4 हिस्सा दर्ज करने का जो आदेश दिया है, वह विधिसम्मत है तथा कथन किया कि खसरा नंबर 561 की भूमि का बेचान पूर्व मे ही हो चुका था इसलिए केतागण को भी सुनवाई का अवसर दिया जाना न्यायोचित है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह विधिसम्मत होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने रेस्पो0 संख्या 3 की बहस का समर्थन करते हुए अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को विधिसम्मत बताया तथा अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध उपखण्ड अधिकारी जैतारण एवं तहसीलदार जैतारण द्वारा पारित निर्णयो का अवलोकन किया । मौजा राबडियावास तहसील जैतारण के खसरा नंबर 561

रकबा 30 बीघा तथा खसरा नंबर 584 रकबा 24.15 बीघा भूमि के सह खातेदार मोलाबक्श के हिस्से की भूमि नामांतरकरण संख्या 200 के जरिये उसके पुत्र इमाम खां पुत्र मोलाबक्श के नाम दर्ज हुई तथा इमाम खां के फोत होने पर उसके पुत्र भीखा खां वल्द इमाम खां के नाम म्युटेशन संख्या 323 दिनांक 20–7–80 स्वीकृत हुआ । उक्त म्युटेशन के विरूद्ध वर्तमान अपीलार्थिया जो कि स्व0 खातेदार मोलाबक्श की पुत्री है, ने उपखण्ड अधिकारी जैतारण के समक्ष प्रथम अपील पेश की, जो अपील स्वीकार की जाकर उक्त नामांतरकरण संख्या 323 पर पारित आदेश दिनांक 20–7–80 को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार जैतारण को नियमानुसार वारिसानो की जांच कर नियमो के परिपेक्ष्य मे अग्रिम कार्यवाही करने हेतु रिमाण्ड किया । जिस पर तहसीलदार जैतारण ने प्रकरण दर्ज कर बाद जांच एवं सुनवाई के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18–5–2017 के द्वारा ग्राम राबडियावास के खसरा नंबर 582 रकबा 12.05 बीघा भूमि मे फूली बानो पत्नी भीकाखां 1/4, सुगरी बानो पुत्री मोलाबक्श 1/4, निवाजो बानो पुत्री मोलाबक्श 1/4 एवं भंवरी बानो के का0मुकाम के नाम 1/4 हिस्से मे नाम राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज किये जाने के आदेश पारित किये गये तथा विवादित भूमि के संबंध मे पक्षकार अपने हक अधिकारो के लिए सक्षम न्यायालय मे वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त कर सकते है, बाबत निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जैतारण ने अपीलाधीन निर्णय मे खसरा नंबर 582 की बेचान से शेष रही 12.05 बीघा भूमि के संबंध मे मृतक मोलाबक्श के वारिसान के नाम पुत्र–पुत्रियो मे जिस तरह से 1/4– 1/4 हिस्से दर्ज करने का आदेश पारित किया है, वह विधि अनुरूप पारित नही किया है क्योंकि वर्तमान प्रकरण मुस्लिम विधि से गवर्न होता है इसलिए इस मामले मे वारिसान के हिस्से मुस्लिम विधि अनुसार तय होने है ।

परिणामस्वरूप अपीलार्थियां द्वारा प्रस्तुत यह अपील आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जैतारण द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18–5–2017 निरस्त कर प्रकरण पुनः तहसीलदार जैतारण को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि अपीलाधीन भूमि के संबंध मे मृतक मोलाबक्श के विधिक वारिसान के नाम मुस्लिम विधि के अनुसार हिस्सो का निर्धारण कर प्रकरण निस्तारित करे ।

निर्णय आज दिनांक 30–8–2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(असलम मेहर)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर